मैं कार्यस्थल न्याय वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहता/ती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए?

कार्यस्थल न्याय वीज़ा के लिए आवेदन करने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप प्रवासी और रोज़गार कानूनों के बारे में सलाह प्राप्त कर लें।

1

आपको प्रवासी कानून के बारे में सलाह लेनी चाहिए।

आप किसी ऐसे सामुदायिक कानूनी केंद्र (कम्यूनिटी लीगल सेंटर) से संपर्क कर सकते हैं जो प्रवासी कानून में विशेषज्ञता रखता हो, किसी यूनियन से (और उनकी प्रवासी कानून सेवा के लिए रैफ़रल मांग सकते हैं) या फिर किसी निजी प्रवासी एजेंट या वकील से संपर्क कर सकते हैं।

2

यदि वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप कार्यस्थल न्याय वीज़ा के लिए योग्य हो सकते हैं, **तो आपको किसी ऐसे संगठन से संपर्क करना चाहिए जो आपको रोज़गार कानूनों से संबंधित सलाह दे सके और आपके कार्यस्थल शोषण मामले को प्रमाणित कर सके।**

नीचे उल्लेखित संगठन आपके कार्यस्थल शोषण मामले को प्रमाणित कर सकते हैं:

- Fair Work Ombudsman
- Australian Rail, Tram and Bus Industry Union
- Australian Workers' Union
- Australasian Meat Industry Employees' Union
- Electrical Trades Union of Australia
- Human Rights Law Centre
- Migrant Workers Centre
- Redfern Legal Centre
- SA Unions
- Shop, Distributive and Allied Employees' Association
- Unions Tasmania
- The Association of Professional Engineers, Scientists and Managers
- UnionsACT
- Transport Workers' Union of Australia
- Unions NSW
- UnionsWA
- United Workers Union
- WEstjustice

UNIONSWA
MULTICULTURAL WORKERS COLLECTIVE

प्रवासी श्रमिक केंद्र (Migrant Workers Centre) एक छोटी सामुदायिक कानूनी सेवा है जो उन प्रवासियों को रोज़गार संबंधी कानूनी सहायता प्रदान करती है जो विक्टोरिया में रहते हैं या काम करते हैं।

हम कार्यस्थल न्याय वीज़ा के लिए आवेदन के समर्थन के रूप में प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। हालाँकि, हम आम तौर पर हमारी सेवा का उपयोग करने वाले ग्राहकों को ही प्रमाणित करेंगे, जहाँ हम उनके कार्यस्थल शोषण मामले में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

कार्यस्थल न्याय वीज़ा के बारे में अधिक जानें

unionswa.com.au/mwc

3

एक बार जब आपको अपना प्रमाणन प्राप्त हो जाए, **तो आपको अपने आवेदन में सहायता हेतु किसी प्रवास एजेंट या वकील से संपर्क करना चाहिए।**

आप अपने ImmiAccount के माध्यम से भी कार्यस्थल न्याय वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको "वर्कप्लेस जस्टिस पायलट/Workplace Justice Pilot" में सब-क्लास 408 वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा और अपने आवेदन के साथ नीचे उल्लेखित दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे:

- आपके कार्यस्थल शोषण मामले का प्रमाणन (उन संगठनों की सूची देखें जो आपके उपरोक्त कार्यस्थल शोषण मामले को प्रमाणित कर सकते हैं)।
- इस बात का प्रमाण कि आपके पास आस्ट्रेलिया में रहने के लिए पर्याप्त धनराशि मौजूद है।
- इस बात का प्रमाण कि आपके पास उपयुक्त स्वास्थ्य बीमा मौजूद है।

कार्यस्थल पर शोषण के शिकार हुए हैं?

कानूनी कार्रवाई करने के लिए आप ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं।

कार्यस्थल न्याय वीज़ा (WORKPLACE JUSTICE VISA) के बारे में पूछें

हिन्दी

UNIONSWA
MULTICULTURAL WORKERS COLLECTIVE

कार्यस्थल न्याय वीज़ा क्या है?

कार्यस्थल न्याय वीज़ा एक अस्थायी वीज़ा है जो कुछ अस्थायी वीज़ा धारकों, या हाल ही के अस्थायी वीज़ा धारकों को, कार्यस्थल पर शोषण का शिकार होने पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने की अनुमति देता है।

कार्यस्थल न्याय वीज़ा प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि आपके पास काम करने के अधिकारों सहित अस्थायी वीज़ा हो या कभी रहा हो।

कार्यस्थल न्याय वीज़ा के लिए आवेदन करने हेतु आपको किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

कार्यस्थल न्याय वीज़ा के लिए योग्य होने के लिए यह अनिवार्य है कि:

- आप आस्ट्रेलिया में हैं, या तो:
  - काम करने के अधिकारों के साथ आप किसी अस्थायी वीज़ा पर हैं (इसमें ब्रिजिंग वीज़ा, आपराधिक न्याय वीज़ा (Criminal Justice Visa) या प्रवर्तन वीज़ा (Enforcement Visa)) शामिल नहीं हैं), जो 28 दिन या उससे कम समय की अवधि में समाप्त हो रहा है, या
  - काम करने के अधिकारों सहित आपके पास कभी अस्थायी वीज़ा रहा है (इसमें ब्रिजिंग वीज़ा, आपराधिक न्याय वीज़ा या प्रवर्तन वीज़ा शामिल नहीं हैं), जिसकी समय-सीमा को समाप्त हुए 28 दिन से अधिक नहीं हुए होने चाहिए।
- आपके कार्यस्थल शोषण मामले को किसी मान्यताप्राप्त प्रमाणन संगठन द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
- आपके पास स्वास्थ्य बीमा और ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए।
- ऑस्ट्रेलिया में रहने का इरादा अस्थायी अवधि का होना चाहिए।
- आप कुछ खास स्वास्थ्य और चरित्र मानदंडों को पूरा करते हों।

आप पात्र नहीं हो सकते यदि:

- यदि आपका वीज़ा अस्वीकार कर दिया गया है या रद्द कर दिया गया है तो आप कार्यस्थल न्याय वीज़ा के लिए योग्य नहीं हो सकते हैं।
- यदि आपके पास 28 दिनों से अधिक समय के लिए काम करने के अधिकारों सहित कोई अस्थायी वीज़ा नहीं रहा है और वर्तमान में आपके पास ब्रिजिंग वीज़ा, आपराधिक न्याय वीज़ा, प्रवर्तन वीज़ा है या यदि आप ग़ैरकानूनी तौर पर रह रहे हैं तो आप कार्यस्थल न्याय वीज़ा के लिए योग्य नहीं होंगे।

कार्यस्थल पर शोषण का कोई मामला आप से संबंधित हो सकता है यदि:

आपको उचित भुगतान नहीं किया गया (या बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया गया)

किसी काम के एवज़ में भुगतान करने के लिए आप पर दबाव डाला गया

आपने असुरक्षित परिस्थितियों में काम किया

आपका यौन उत्पीड़न किया गया

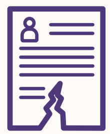

आपके बॉस ने आपका वीज़ा रद्द करने की धमकी दी

आपको अनुचित तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया

जब आपको कर्मचारी के तौर पर रखा जाना चाहिए था, तब आपको ABN लेने के लिए मजबूर किया गया

मैं कार्यस्थल न्याय वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहता/ती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए?